



166

विदिशा

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय, संभाग विदिशा
भोपाल म०प्र०

सूचीम-6129/2018/विदिशा/भू.२ प्रकरण क्रमांक

1. केसरी पुत्र चुनिया जाति अरिवार,
निवासी-सिरोंज, तहसील सिरोंज,
जिला विदिशा म०प्र०
2. संदू पुत्र श्री चुनिया,
निवासी-लटेरी, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा म०प्र०
3. विपता बाई पुत्री श्री चुनिया,
पत्नी श्री भरोसीलाल, निवासी-ग्राम
नेवली, तहसील लटेरी, जिला विदिशा म.प्र.
4. जड़िया बाई बेवा चुनिया
जाति अहिरवार, निवासी-लटेरी,
जिला विदिशा म०प्र०

श्री कृष्ण कर्मा 3/10/18
02/11/18
श्री 4/2/18
20/24/9/2018
3/11/18



2589



--- अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1. हीरालाल पुत्र श्री तुलाराम, माता भंमरीबाई
जाति अहिरवार, निवासी-वार्ड क्रमांक-2
लटेरी, जिला विदिशा म०प्र०
2. देशराज आयु लगभग 32 वर्ष
पुत्र स्व. श्री गंगाराम
3. लालाराम आयु लगभग 28 वर्ष
पुत्र स्व. श्री गंगाराम
दोनों निवासी-वार्ड क्रमांक-14, शमशाबाद
रोड, कॉलेज के पीछे, विदिशा म०प्र०
4. श्रीमती विमला बाई, आयु लगभग 34 वर्ष
पुत्री स्व. श्री गंगाराम, पत्नी श्री भूरालाल
निवासी-ग्राम आमखेड़ा, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा म०प्र०

[Handwritten signature]



केसरी

..2..

5. श्रीमती सीमा बाई, आयु लगभग 25 वर्ष
पुत्री स्व. श्री गंगाराम, पत्नी श्री नवल सिंह
निवासी-ग्राम रूसिया, तहसील लटेरी,
जिला विदिशा म0प्र0
6. कमरलाल पुत्र श्री तुलाराम
जाति अहिरवार निवासी-वार्ड क्रमांक-5,
तहसील लटेरी, जिला विदिशा म0प्र0 --- प्रतिअपीलार्थी/रेस्पांडेंटगण

अपील अंतर्गत धारा 44(2) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थीगण की ओर से निम्न निवेदन है कि :-

यह कि अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त श्री राजेश जैन भोपाल संभाग भोपाल के आदेश दिनांक 01.08.2018 पक्षकार केसरी व अन्य विरुद्ध हीरालाल व अन्य अपील क्रमांक-792/15-16 में पारित आदेश से असंतुष्ट व दुखी होकर माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नानुसार अपील प्रस्तुत करते हैं।





FOR COPY FOR COPY

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 6129/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-4-2019	<p>अपीलार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । अपीलार्थीगण द्वारा अपर आयुक्त के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में यह तृतीय अपील प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 में तृतीय अपील का कोई प्रावधान नहीं होने से यह अपील अग्रहण की जाती है । अपीलार्थीगण सूचित हों ।</p> <p> सी.उ.र.</p>	<p> अध्यक्ष</p>